संतकबीरनगर पुलिस

जनपद - संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनॉक 07.08.2022**

आज दिनांक 07.08.2022 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर **श्री अखिल कुमार** पुलिस उपमहानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती **श्री आर0के0 भारद्वाज** के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **श्री सोनम कुमार** के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य–

पत्नी को प्रताड़ित करने व आत्महत्या के दुष्प्रेरण के मामलें में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद में **मिशन शक्ति अभियान** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **श्री सोनम कुमार** द्वारा चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा **श्री रामप्रकाश** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा **श्री कृष्ण देव सिंह** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 364 / 2022 धारा 498(ए) / 306 / 201 भादवि के मामले में वांछित अभियुक्त बबलू राजभर पुत्र मंगरु निवासी डेबरी टोला सिसवा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को नेतवापुर चौराहे के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा श्री कृष्णदेव सिंह, कां0 धर्मेन्द्र यादव, कां0 संजीत कुशवाहा, कां0 शैलेन्द्र यादव।

संतकबीरनगर पुलिस

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद में **मिशन शक्ति अभियान** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु **पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सोनम कुमार** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी धनघटा **श्री रामप्रकाश** के निकट पर्यवेक्षण में **थाना महुली पुलिस द्वारा** मु0अ0सं0 263 / 2022 धारा 376 / 504 / 506 भादवि व 67 आईटी एक्ट के मामले मे वांछित अभियुक्त नाम पता विशाल पुत्र रामहजूर निवासी डेहराटीकर थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- निरीक्षक अपराध थाना महुली श्री रमजान अली मय हमराह।

नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद में **मिशन शक्ति अभियान** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु **पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सोनम कुमार** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी धनघटा **श्री रामप्रकाश** के निकट पर्यवेक्षण में **थाना महुली पुलिस द्वारा** मु0अ0सं0 264 / 2022 धारा 363 / 354(क) / 323 / 506 भादवि व 7 / 8 पाक्सो एक्ट के मामले से संबंधित अभियुक्त नाम पता शाहआलम पुत्र इन्ताफ अली निवासी वार्ड नं05 इंदिरानगर हरिहरपुर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- प्रभारी चौकी हरिहरपुर श्री मनोज कुमार पटेल मय हमराह।

संतकबीरनगर पुलिस

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 12 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना धनघटा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 05 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना महुली पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 05 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 2546 द्वारा दो पक्षों के विवाद को कराया गया शांत व विवाद में घायल 03 लोगों को पहुंचाया गया अस्पताल – पीआरवी 2546 को थाना महुली क्षेत्रान्तर्गत टिकुई कोल चौबे से इवेन्ट संख्या 11290 से कालर ने किसी बात को लेकर दो पक्षों में विवाद / मारपीट होने से 03 लोगों के घायल होने के संबंध मे सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर 08 मिनट में पहुंचकर विवाद को शांत कराया गया व विवाद में घायल लोगों को 108 एम्बुलेंस से प्रा0स्वा0केन्द्र नाथनगर भेजवाया गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना महुली को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर विवाद को शांत कराकर व विवाद में घायल लोगों को अस्पताल भेजवाकर उनकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ – आरक्षी रविन्द्र कुमार, आरक्षी अभय कुमार, हो0चा0 भीम कुमार।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 67 वाहनो से 53,000 रु0 सम्मन वसूल किया गया

आज दिनांक 07.08.2022 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 67 वाहनों से 53,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल वाहन किया गया।